कार्यालय जिला विकास अधिकारी ,चमोली ।

संख्या 825 / स्था0-3 / नियु0-स्था0 / 27(3)ग्रा0वि0अ0 / 2018-19 दिनांक 08 जून 2018

आदेश

उतराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन मुख्य विकास अधिकारी चमोली की अध्यक्षता में गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के कमोत्तर में निम्नलिखित ग्राम विकास अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित **स्तम्भ-3** के कार्यस्थल / विकास खण्ड से **स्तम्भ-4** के कार्यस्थल / विकास खण्ड में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :-

क0 सं0	नाम ग्राम विकास अधिकारी	वर्तमान तैनाती का कार्यस्थल / विकास खण्ड	नवीन तैनाती का कार्यस्थल / विकास खण्ड	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री विनोद कुमार गौड	फरकण्डे-गैरसैंण	मालसी-गैरसैंण	सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र	जनहित में
2	श्री वीरेन्द्र सिंह रावत	केवर-नारायणबगड़	सिमली-नारायणबगड	सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र	जनहित में
3	श्री शिव सिंह भण्डारी	मैठांणा-दशोली	उस्तोली-घाट	सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र	जनहित में
4	श्री विलेश्वर पन्त	मांणा-जोशीमठ	तपोवन-जोशीमठ	दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र	जनहित में
5	श्री लक्ष्मी प्रसाद	उर्गम-जोशीमठ	गडोरा-दशोली	दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र	जनहित में

2- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अधिनियम -2017 की धारा 22 (1) के अधीन स्थानान्तरित कार्मिकों को आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा । इसलिए स्थानान्तरण पर मिलने वाले कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे। धारा-22(2) के अनुसार स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा तथा स्थानान्तरित कार्मिकों का माह जून-2018 का वेतन नव तैनाती के कार्यस्थल / विकास खण्ड से आहरित किया जायेगा।

3- अधिनियम की धारा-24 (1) (2) एवं (3) के अधीन किसी स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के सम्बन्ध में किसी भी स्तर से किसी प्रकार का प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने अथवा स्थानान्तरण आदेश का निर्दिष्ट समय के भीतर अनुपालन न किये जाने की स्थिति में इससे अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों का उल्लंघन मानते हुए सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अतः सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्देशानुसार स्थानान्तरित कार्मिकों को यथासमय कार्यमुक्त करते हुए अनुपालन से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(प्रकाश रावत)
जिला विकास अधिकारी,
चमोली।

आदेश संख्या एवं दिनांक उक्तॉकित ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- उपरोक्त ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी ।

2- खण्ड विकास अधिकारी गैरसैंण / नारायणबगड / दशोली / घाट / जोशीमठ ।

3- उप कोषाधिकारी गैरसैंण / नारायणबगड / चमोली / घाट / जोशीमठ।

4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी चमोली को चमोली की वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु ।

5- आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड पौडी।

6- सम्बन्धित ग्रा. वि. अ. की व्यक्तिगत-पत्रावली।

(प्रकाश रावत)
जिला विकास अधिकारी,
चमोली ।